University Grants Commission
Central Regional Office
Tawa Complex (Bittan Market),
E-5, ARERA COLONY, BHOPAL-462 016
Ph.: 0755-2467418, 2467892,
Fax: 0755-2467893, web site: www.ugc.ac.in

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(Ministry of Human Resource Development)
भारत सरकार
Govt. of India

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
मध्य क्षेत्रीय कार्यालय
तवा काम्प्लेक्स (बिट्टन मार्केट)
ई–5, अरेरा कालोनी
भोपाल – 462016 (म.प्र.)

F. No.-1-30/UGC/CRO/RO/17-18 Date: 17.04.2017

The Principal
Gurukul Mahila Mahavidyalaya
Opp. New Municipal Corporation Building, Kalibadi Road,
Raipur-_______ (Chhattisgarh)

Sub: Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions- Regarding.

Sir/Madam,

With reference to UGC Head Office, New Delhi letter No. D.O. No. F.1-15/2009(ARC)Pt.III dated 05.04.2017, I am directed to state that the UGC has already notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009", in pursuance to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

In this regard, it is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on Curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory and all institutions are required to take necessary steps of its implementations in toto including the monitoring mechanism as per provisions in the above regulations and ensure its strict compliance.

Any violation of UGC regulations as cited above or if any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably will attract action under the UGC Act.

The UGC has got developed 4 short films and the documentary film to counsel students on ill effects of ragging. These films are uploaded on UGC website.

In view of above, you are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx.

Yours faithfully,

17/04/2017

Dr. G.S. Chauhan
(Deputy Secretary)

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

D.O. No. F. 1-15/2009(ARC) pt-III **25th July, 2017**

Sub: Curbing the menace of ragging in higher educational institutions.

Dear Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive action against itself by the UGC.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums; constitution of anti-ragging committee and anti ragging squad, setting up of Anti Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti- Ragging workshops, updating all websites with nodal officers complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers, mention of Anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets/brochures shall be ensured. Surprise inspection of hostels, students accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Aman Satya Kachroo Trust on following No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).

The UGC has got developed 4 short films and a documentary film to counsel students on ill effects of ragging. **These films are uploaded on UGC website.**

All Universities/Institutions are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, www.ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx .

With personal regards.

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor of all Universities

Copy to:-

Publication Officer, UGC, New Delhi for uploading on the UGC website.

(Jaspal S. Sandhu)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 4896/1861/2016/38—2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :— विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने संबंधी।

संदर्भ :— भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US(Vol.-II) दिनांक 14.09.2017.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना एवं उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कृपया सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को एन्टी रैगिंग के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित कर, विभाग को अवगत कराएं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(नलिनी माथुर)
अवर सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

पृ.क्र 4897 /1861/2016/38—2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छ.ग., उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. श्री एस.शंकर, उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US (Vol.-II) दिनांक 14.09.2017 के अनुपालन में।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. कुलसचिव, समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छ.ग.,
6. प्राचार्य, समस्त शास./निजी महाविद्यालय, छ.ग.
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

Regis... 16/8/17

D.O. No. F. 1-15/2009(ARC) pt-III **25th July, 2017**

Sub: Curbing the menace of ragging in higher educational institutions.

Dear Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive action against itself by the UGC.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums; constitution of anti-ragging committee and anti ragging squad, setting up of Anti Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti- Ragging workshops, updating all websites with nodal officers complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers, mention of Anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets/brochures shall be ensured. Surprise inspection of hostels, students accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Aman Satya Kachroo Trust on following No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).

The UGC has got developed 4 short films and a documentary film to counsel students on ill effects of ragging. **These films are uploaded on UGC website.**

All Universities/Institutions are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, www.ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx .

With personal regards,

Yours sincerely,

Proctor
17/8/17

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur-492 010,
Chhattisgarh.

कुलपति सचिवालय
आवक क्र. 79
दि. 16/08/17

7. रैगिंग संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के कुलअनुशासक प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, मोबाइल नम्बर – 094242 15539 एवं फोन नम्बर 0771– 2263513 पर तुरन्त सूचित करें।

8. सभी संस्थान अपने यहां एक "**महिला उत्पीड़न रोकथाम**" प्रकोष्ठ का भी गठन करेंगे तथा उक्त के संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ की प्रभारी प्रो. रीता वेनुगोपाल, मोबाइल नम्बर– 094255 15951 पर सूचित करें।

आदेशानुसार

5.8.19

कुलसचिव

क्रमांक / 1150 / कुल.अनु. / 2019 रायपुर, दिनांक 5 / 08 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. विधि अधिकारी, छ.ग. मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
4. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
5. मुख्य संरक्षक, महिला एवं पुरूष छात्रावास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
6. कुलपति के निजी सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।

कुलअनुशासक

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website :www.prsu.ac.in, www.prsuuniv.in

क्रमांक / 1149 / कुल.अनु. / 2019 रायपुर, दिनांक 05/08/2019

प्रति,

समस्त अध्यक्ष / प्रमुख / प्राचार्य,
अध्ययनशाला / महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

विषय :– विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं एवं संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में रैंगिंग रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।

महादेय / महोदया,

विषयान्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों में भय एवं रैंगिंग मुक्त वातारण निर्मित करने हेतु प्राप्त निम्न दिशा–निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें :–

1. सभी संस्थान अपने यहां उचित स्थान पर पोस्टर आदि के माध्यम से रैंगिंग क्या है (संलग्न) को प्रदर्शित कर छात्र–छात्राओं को इससे अवगत कराएं।

2. सभी संस्थानों में छात्र–छात्राओं को प्रवेश देते समय संलग्न प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 (शपथ पत्र) छात्र एवं माता–पिता / अभिवावक को भरना अनिवार्य है।

3. सभी संस्थान अपने यहां एक **"एन्टी रैगिंग समिति"** गठित कर सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा उसकी एक छायाप्रति विश्वविद्यालय में कुलअनुशासक कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

4. सभी संस्थान के सूचना पटल पर रैगिंग समिति रोकथाम हेतु प्राप्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय (संलग्न) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम–छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैंगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 (संलग्न) को प्रदर्शित कर सभी छात्र–छात्राओं को इससे अवगत कराएं।

5. सभी संस्थान UGC Regulations on curbing menace of ragging in higher educational institution 2009 dated 17-06-2009 (The Gazette of India, July 4, 2009) विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.prsu.ac.in** पर उपलब्ध है के बारे में छात्र–छात्राओं को अवगत कराएं।

6. सभी संस्थान UGC की वेबसाइट www.ugc.ac.in में रैंगिंग रोकथाम हेतु Video-clipping को छात्र–छात्राओं के बीच प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

P.T.O

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001*

[दिनांक 17 जनवरी, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना;

(ख) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

3. रैगिंग का प्रतिषेध— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड— यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

---

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-1-2002 पृष्ठ 28-28 (1) पर प्रकाशित।

P.T.O

6. अपराधों का विचारण— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता— (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Following guidelines have been laid down by Hon'ble Supreme Court to fight menace of ragging in Educational Institutions.

1. The prospectus, the form for admission and/or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and any one indulging in ragging is likely to be punished appropriately.

2. If there be any legislation governing ragging or any, provisions in the Statute/Ordinances they should be brought to the notice of the students/patents seeking admissions.

3. Form for admission/enrolment shall have a printed undertaking to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishments to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from students already admitted and their parents.

4. A printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of new entrants in the institution, alongwith the addressee and telephone numbers of such persons, should be given to freshers at the time of admissions so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to or obliged by them.

5. The management, the principal, the teaching staff should interact with freshers and take them in confidence by apprising them of their rights as well as obligation to fight against ragging and generate confidence in their mind.

6. Institution to constitute a proctorial committee to keep a continuous watch and vigil over ragging and promptly deal with the incidents of ragging.

7. All vulnerable location shall be identified and specially watched.

8. Failure to prevent ragging shall be construed as an act of negligence on part of management, hostels wardens / superintendents.

9. The hostels/accommodations where freshers are accommodated shall be carefully guarded, and entry of seniors/outsiders to be regulated.

10. If individuals committing or abetting ragging are not identified collective punishment could be resorted to.

11. Migration certificate to contain entry indicating whether the student had participated in and in particular was punished for ragging.

12. Stoppage of financial assistance by UGC/funding agency to institutions falling to curb ragging.

13. Institution to face disaffiliation.

14. Institutions / Universities to hold activities where seniors and freshers can interact and develop friendly relationship.

P.T.O

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत–

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, भारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र / छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्याद हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद क चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

* सीनियर छात्रों को "सर" कहने के लिए
* सामूहिक कवायद करने के लिए
* सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए
* अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
* सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
* अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
* नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
* शराब, उबलती हुइ चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
* कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
* ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे भारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
* नंगा करना, चुंबन लेना, आदि
* अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा–परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000 / – तक।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail rsuexam@gmail.com

क्रमांक 90 / कुल.अनु. / 2017 रायपुर, दिनांक 14/7/2017

प्रति,

समस्त अध्यक्ष / प्रमुख / प्राचार्य,
अध्ययनशाला / महाविद्यालय,
पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर

विषयः– विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में रैगिंग रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

विषयांतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों में भय एवं रैगिंग मुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु प्राप्त निम्न दिशा–निर्देश का पालन करने का कष्ट करें:–

1. सभी संस्थान अपने यहां उचित स्थान पर पोस्टर आदि के माध्यम से रैगिंग : निषेध रोकथाम और सजा (संलग्न) को प्रदर्शित कर छात्र–छात्राओं को इससे अवगत कराये।
2. सभी संस्थानों में छात्र–छात्राओं को प्रवेश देते समय संलग्न प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 (शपथ पत्र) छात्र एवं माता–पिता / अभिभावक को भरना अनिवार्य है।
3. सभी संस्थान अपने यहां एक एन्टी रैगिंग समिति गठित कर सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा उसकी एक छायाप्रति विश्वविद्यालय में कुलअनुशासक कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सभी संस्थान के सूचना पटल पर रैगिंग रोकथाम हेतु प्राप्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यालय (संलग्न) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम–छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 (संलग्न) को प्रदर्शित कर सभी छात्र–छात्राओं को इससे अवगत कराये।
5. सभी संस्थान UGC Regulations on curbing menace of ragging in higher education institutions 2009 date 17-06-2009 (The Gazette of india, july 4, 2009) विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.prsu.ac.in पर उपलब्ध है के बारे में छात्र–छात्राओं को अवगत करायें।
6. सभी संस्थान UGC www.prsu.ac.in में रैगिंग रोकथाम हेतु Video-clipping को छात्र–छात्राओं के बीच प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. रैगिंग संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के कुलअनुशासक प्रो.ए.के. श्रीवास्तव, मोबाईल नंबर 094242–15539 पर सूचित करें।

क्रमशः...02

8. सभी संस्थान अपने यहां एक महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठ का भी गठन करेंगे तथा उक्त से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न रोकथाम प्रकोष्ठक की प्रभारी प्रो.रीता वेनुगोपाल, मोबाईल नंबर 9425515951 पर सूचित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.कमांक 91 /कुल.अनु. /2017 रायपुर, दिनांक 15/7/2017

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन,रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय, रायपुर।
4. आयुक्त शिक्षा संचानालय, रायपुर।
5. विधि अधिकारी, छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर।
6. मुख्य संरक्षक, महिला एवं पूरूष छात्रावास, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/7/17

कुलअनुशासक

संलग्न –1

छात्र / छात्रा का शपथ पत्र

मैं...(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश / पंजीयन / नामांकन सहित) पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमती / ....(संस्था का नाम).. में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ / देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता / करती हूँ या षड़यंत्र करता / करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूँ कि–
   (अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा / करूँगी जोकि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
   (ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा / बनूँगी जो कंडिका–3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता / देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता / जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करत / करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया / गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा की दिनांक दिनांक ....माह.......................वर्ष ....।

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

<u>सत्यापन</u>

मैं सत्यापित करता / करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र मे उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)...(दिन)...............................(माह)...............................(वर्ष)

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)...................माह............वर्ष......................को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

नोट– प्रत्येक छात्र / छात्रा को ~~~ की आन लाईन वेबसाईट पर रैगिंग न करने का शपथपत्र भरना अनिवार्य है।

CANCELLED

संलग्न –2

माता–पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं, श्री / श्रीमती / कु. ....
(माता–पिता / अभिभावक का पूरा नाम) ....
(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन / नामांकन संख्या सहित)..
(संस्था का नाम)..में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र / पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि–
   (अ) मेरा पुत्र / पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।
   (ब) मेरा पुत्र / पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र / पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र / पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा की दिनांक ....माह...............................वर्ष ....।

CANCELLED

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
फोन / मोबाइल नंबर ....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)..............................(दिन)....................................(माह)..............................(वर्ष)

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)...............................माह.....................वर्ष ....को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

रैगिंग : निषेध, रोकथाम और सजा

विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र क्र.एफ–1 15/2007 (सी.पी.सी.दवितीय) दिनांक 17 जून,2009 के द्वारा उच्च षिक्षण संस्थाओं में छात्रों के रैगिंग पर लगे प्रतिबंध को दोहराया है। अतः छात्रों को किसी भी प्रकार की रैगिंग से सख्ती से विरत रहने के लिए निर्देषित किया जाता है।

रैगिंग के रूप : षोर, उच्छंखल आचरण, चिढाना, अषिश्ट व्यवहार ——————————

अनुषासनहीन गतिविधियाँ करना जिसके कारण झुझलाहट, अनुचित कठिनाई षारीरिक या मानसिक नुकसान या नए छात्रों में आषंकित डर बढ़ाना, या छात्रों को ऐसे कृत्य या प्रदर्षन करने के लिए कहना जिसे छात्र सामान्यतः नहीं करेगा और जिसके कारण उन्हें षर्मिंदगी महसूस करे या उसके जीवन के लिए खतरा हों, आदि।

1. प्रवेष का निरस्तीकरण।
2. कक्षाओं में उपस्थिति से निलंबन।
3. छात्रवृत्ति/फेलोषिप और अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करना।
4. किसी भी टेस्ट/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम में रोक।
6. किसी भी राश्ट्रीय या अंतराश्ट्रीय सम्मेलन, खेलकुद प्रतियोगिता, युवा उत्सव, आदि में संस्था का प्र. तिनिधित्व करने से वंचित।
7. छात्रावास से निलंबन निश्कासन
8. 1 से 4 सेमेस्टर या समकक्ष अवधि के लिए संस्थान से विस्तारण।
9. संस्थान से निश्कासन तथा परिणाम स्वरुप किसी अन्य संस्थान में प्रवेष से वंचित करना।
10. रू. 25000/– तक का दंड

रैगिंग कैसे होती है –

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आएंगे –

क. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक षब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुषासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कश्ट, आक्रोष, कठिनाई, षारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ. वरिश्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए षैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाएं।

ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए षैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर षोशण करना।

च. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक षोशण करना।

छ. षारीरिक षोशण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन षोशण समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अष्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवष करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का षारीरिक कश्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे।

ज. मौखिक षब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कश्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिश्क अथवा आत्मविष्वास पर दुश्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

अति– आवश्यक

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन
नया,रायपुर(छ.ग.)

——00——

क्रमांक/1820/366/आउशि/सम/2018 नया रायपुर,दिनांक 30/06/2018
प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय, छ.ग.।
2. प्राचार्य
   समस्त शासकीय/ निजी महाविद्यालय
   छ.ग.।

विषय :– डायल–112 योजनान्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।
संदर्भ :– सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें/ यातायात/ योजना प्रबंध) कार्यालय डायल 112 सी–4 सिविल लाईन– रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक डायल –112/ सी–4/ शाय/ प्रशा/ 8/18 दिनांक 29.06.2018

——00——

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. राज्य के 11 जिलों में आपातकालीन सेवाओं हेतु डायल–112 योजना संचालित किया जाना है । इस हेतु छ.ग. राज्य के समस्त शासकीय/ निजी विश्वविद्यालयो/ महाविद्यालय के कुल सचिव, प्राचार्य, उप प्राचार्य, एंटी रैंगिग समिति प्रमुख/उप प्रमुख एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों की जानकारी चाही गई है।

कृपया तत्काल उक्त जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)